

## चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधी कानूनी वसिगतियों का समाधान

यह एडिटोरियल 08/02/2024 को 'द हद्दी' में प्रकाशित ["Downloading child pornography is an offence"](#) लेख पर आधारित है। इसमें 'एस. हरीश बनाम पुलिस नरीक्षक' मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के नरिणय के नहितिारथों और समाज के वभिनिन क्षेत्रों पर इसके वभिनिन प्रभाव के बारे में वचिार कया गया है।

### प्रलिमिस के लयि:

[यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियम, 2012](#), [बाल अधकिारों पर संयुक्त राषट्र कन्वेंशन \(1992\)](#), [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#), [कशिार न्याय अधनियम 2015](#), सूचना एवं प्रौद्योगकिी अधनियम, 2000।

### मेन्स के लयि:

POCSO अधनियम, 2000 के कार्यानवयन में मुद्दे और आगे की राह।

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने **एस. हरीश बनाम पुलिस नरीक्षक (2020)** मामले में नरिणय देते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) डाउनलोड करना सूचना प्रौद्योगकिी (IT) अधनियम, 2000 की धारा 67B के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने **केरल उच्च न्यायालय** द्वारा नरिधारित एक पूर्व-दृष्टांत का हवाला दिया जहाँ माना गया था कि निजी स्थानों पर पोर्नोग्राफी देखना **भारतीय दंड संहति (IPC)** की धारा 292 का उल्लंघन नहीं है।

पुलसि ने अन्वेषण के बाद अंतमि रपिर्ट दायर की थी और [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधनियम, 2012](#) की धारा 14 (1) और आईटी अधनियम, 2000 की धारा 67B उच्च न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया था।

## POCSO अधनियम, 2012 क्या है?

### ■ परिचय:

- POCSO अधनियम को [बाल अधकिारों पर संयुक्त राषट्र कन्वेंशन \(1992\)](#) के भारत के अनुसमर्थन के रूप में अधनियमित कया गया था।
  - इस वशिष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना है, जनिहें तब तक या तो वशिष रूप से परिभाषित नहीं कया गया था या पर्याप्त रूप से दंडित नहीं बनाया गया था।
  - अधनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ती को 'बाल' (child) के रूप में परिभाषित करता है। अधनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान करता है।
  - बच्चों के वरिद्ध यौन अपराध करने के लयि मृत्युदंड सहति अधिकि कठोर दंड का प्रावधान करने के लयि अधनियम की वर्ष 2019 में समीक्षा की गई और इसमें संशोधन कया गया। इसका उद्देश्य अपराधियों को भयभीत कर ऐसे अपराध के लयि हतोत्साहित करना और बच्चों के वरिद्ध ऐसे अपराधों पर रोक लगाना था।
- भारत सरकार ने **POCSO नयिम, 2020** को भी अधसूचित कर दिया है।
  - POCSO नयिमों का नयिम-9 वशिष न्यायालय को FIR दर्ज होने के बाद बच्चे की राहत या पुनर्वास से संबंधित आवश्यकताओं के लयि अंतमि मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवजा अंतमि मुआवजे, यदि कोई हो, के वरिद्ध समायोजित कया जाता है।
  - POCSO नयिम बाल कल्याण समिति (CWC) को अन्वेषण एवं परीक्षण प्रक्रया के दौरान बच्चे की सहायता करने के लयि एक सहायक व्यक्ती प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
    - यह सहायक व्यक्ती शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण सहति बच्चे के सर्वोत्तम हतियों को सुनिश्चित करने के लयि ज़मिंदार होता है।

### ■ वशिषताएँ:

#### ○ लैंगकि-तटस्थ प्रकृति:

- अधनियम मानता है कि बालक एवं बालिकाएँ दोनों यौन शोषण के शकिार हो सकते हैं और पीड़ित किसी भी लयि का हो, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।

- यह इस सदिधांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुरव्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और कानूनों को लगे के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिये।
- **मामलों की रपिर्गटिंग में आसानी:**
  - न केवल वयक्तियों द्वारा बलकसंस्थानों द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रपिर्गट करने के लिये अब पर्याप्त सामान्य जागरूकता मौजूद है क्योंकि घटना की रपिर्गट न करना अधिनियम के तहत एक वशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों के वरिद्ध अपराधों को छपाना तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है।
- **वभिन्न शब्दों की स्पष्ट परिभाषा:**
  - **चाइलड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध** बना दिया गया है।
  - इसके अलावा, 'यौन उत्पीड़न' (sexual assault) के अपराध को IPC में 'महिला का शील भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में (न्यूनतम दंड में वृद्धि के साथ) परिभाषित किया गया है।
- **वशिष राहत का तत्काल भुगतान:**
  - POCSO नियमों के तहत, CWC जिला वधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) **याकशिौर न्याय अधिनियम 2015** के तहत स्थापित कोष का उपयोग कर भोजन, वस्त्र एवं परिवहन जैसी आवश्यक आवश्यकताओं के लिये तत्काल भुगतान की अनुशंसा कर सकता है।
  - CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यह भुगतान हो जाना चाहिये।

## मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया नरिणय से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- **धारा 67B की भिन्न व्याख्या:**
  - अनुवेषण के तथ्य IT अधिनियम, 2000 की धारा 67B (b) के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि अपराध तब तय होगा यदि आरोपी ने ऐसी सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, नरिमित की हो जो बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में प्रदर्शित करती हो।
  - इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने धारा 67B का संपूर्ण वशिलेण किये बिना और उप-खंड (b) को पढ़े बिना ही (जहाँ आरोपी के कृत्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है) नरिणय दे दिया है।
- **केरल उच्च न्यायालय के नरिणय का अधूरा संदर्भ:**
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने विवरण का उल्लेख किये बिना (यानी शीर्षक या वर्ष का उल्लेख) एक पूर्व-दृष्टांत का संदर्भ लिया, जहाँ केरल उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 292 के दायरे पर विचार किया था और माना था कि किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील तस्वीर या अश्लील वीडियो देखना स्वयं में कोई अपराध नहीं है।
  - उस मामले का तर्क या सदिधांत चाइलड पोर्नोग्राफी के मामलों पर लागू नहीं होता है, वशिष रूप से उस मामले पर जिस पर मद्रास उच्च न्यायालय विचार कर रहा था।
- **धारा 67B की संवैधानिक वैधता की लापरवाही:**
  - केरल उच्च न्यायालय द्वारा नरिणयि **अनीश बनाम केरल राज्य मामला (2023)** चाइलड पोर्नोग्राफी से संबंधित नहीं था। जबकि निजिता के स्तर पर एडल्ट पोर्नोग्राफी देखना IPC की धारा 292 के तहत अपराध नहीं माना गया है (केरल उच्च न्यायालय और **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** दोनों द्वारा), बच्चों से संबंधित स्पष्ट यौन सामग्री डाउनलोड करना स्पष्ट रूप से IT अधिनियम के तहत एक अपराध है।
  - अब तक किसी भी मामले में धारा 67B(b) की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है और न ही इसके अधिकार-क्षेत्र को असंवैधानिक ठहराया गया है।
- **CrPC की धारा 482 पर अत्यधिक नरिभरता :**
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)** की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया और न्यायिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
  - CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग या संविधान के **अनुच्छेद 226** के तहत असाधारण शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले (1992)** में कुछ दिशानरिदेश तय किये हैं, जिसमें यह शामिल है कि ऐसी शक्तियों का उपयोग तब किया जा सकता है जहाँ FIR में लगाये गए आरोप, प्रथम दृष्टया, अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के वरिद्ध मामले का कारण नहीं बनाते हैं।

## चाइलड पोर्नोग्राफी को वनियमिति करने वाले वभिन्न कानून कौन-से हैं?

- **IT अधिनियम 2000 की धारा 67B:** धारा 67B में वभिन्न पहलुओं से संबंधित पाँच उप-खंड मौजूद हैं:
  - यौन कृत्य या आचरण में लपित बच्चों को चरित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित
  - चाइलड पोर्नोग्राफी सामग्री डाउनलोड करने सहित अन्य कृत्यों से संबंधित
  - बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से यौन संबंध बनाने, लुभाने या प्रेरित करने से संबंधित
  - बच्चों के साथ ऑनलाइन दुरव्यवहार को सुविधाजनक बनाने से संबंधित
  - बच्चों के साथ यौन दुरव्यवहार/यौन कृत्य को रिकॉर्ड करने से संबंधित।
- **POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 14:**
  - धारा 14 की उप-धारा 1 में कहा गया है कि जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्तवर्ती दोषसदिधि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा।

- उप-धारा 2 में कहा गया है कि जो कोई भी उप-धारा 1 के तहत अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में नरिदष्टि अपराध करता है और उसे उक्त अपराधों के लिये उप-धारा (1) में उपबंधित दंड के अलावा क्रमशः धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के तहत भी दंडित किया जाएगा।

//

| WHAT LAW SAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POCSO ACT, 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Section 67B   Punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act, etc. in electronic form</b></p> <p>Anyone publishing or transmitting child pornography shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with a fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees</p> | <p><b>Section 15   Any person, who stores, for commercial purposes any pornographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both</b></p>  |

## मुद्दों के समाधान के लिये कौन-से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

- **व्यापक वधियायी ढाँचे का पालन:**
  - IT अधिनियम की धारा 67B, 67 एवं 67A जैसी संबंधित धाराओं और POCSO अधिनियम 2012 की धारा 14 के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक वधियायी ढाँचे का गठन करती है। वशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना साइबरस्पेस में बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के इरादे को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भूमिका:**
  - गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** 'अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मसिंगि एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन' के साथ एक समझौते के तहत, भारत में कहीं से भी बाल यौन शोषण सामग्री (child sexual abuse materials- CSAM) को अपलोड करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के लिये नियमित रूप से जियो-टैग्ड साइबरटिपलाइन (CyberTipline) रिपोर्ट प्राप्त करता है।
    - इसमें बाल पीड़ितों की गोपनीयता संबंधी चिंता एवं शारीरिक अखंडता की सुरक्षा और संरक्षण भी शामिल होना चाहिये तथा इसे वेबसाइट पर खुले तौर पर प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।
- **शब्दावली समायोजन:**
  - अधिकांश ने सामग्री की गैर-सहमत प्रकृति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को CSAM शब्द से बदलने का सुझाव दिया है। यह भाषाई बदलाव कानूनी स्पष्टता बढ़ाएगा और अपराध की गंभीरता पर बल देगा।
- **वधिक प्रावधानों में सामंजस्य लाना:**
  - बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों को संबोधित करने में सुसंगत सुनिश्चित करने के लिये POCSO अधिनियम 2012 और IT अधिनियम 2000 के बीच प्रावधानों में सामंजस्य लाने का आह्वान किया गया है। यह संरेखण वधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगा।
- **CSAM को एक पृथक अपराध घोषित करना:**
  - CSAM रखने को एक पृथक अपराध घोषित करने के लिये POCSO अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जहाँ इसे IT अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ संरेखित किया जाए। ऐसे परिवर्तन वसिंततियों को संबोधित करेंगे और अपराधियों के अभियोजन में स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- **राज्य कार्रवाई का महत्त्व:**
  - राज्य सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के लिये मदरास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के विरुद्ध अपील करना महत्त्वपूर्ण है ताकि ऐसे अहतिकर पूर्व-दृष्टांत को चुनौती दिया जा सके। बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों की अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि ऐसी भेद्य आबादी की सुरक्षा और उनके लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।

## बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं अनुवेषण इकाई** (Child Abuse Prevention and Investigation Unit)
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**
- **कशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015**
- **बाल विवाह प्रतिषिद्ध अधिनियम (2006)**
- **बाल श्रम (प्रतिषिद्ध और वनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016**
- **फास्ट ट्रैक वशिष न्यायालय:** न्याय विभाग अक्टूबर 2019 से यौन अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिये देश भर में वशिष POCSO अदालतों सहित फास्ट ट्रैक वशिष अदालतों (FTSCs) की स्थापना के लिये एक **केंद्र प्रायोजित योजना** लागू कर रहा है, जहाँ प्रत्येक अदालत में

1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं।

## नषिकर्ष

मद्रास उच्च न्यायालय का नरिणय चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कानूनों की व्याख्या एवं अनुप्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण वधिकि एवं नैतिक सवाल को जन्म देता है। CSAM रखने के संबंध में POCSO अधिनियम 2012 और IT अधिनियम 2000 के बीच वसिंगति को देखते हुए बच्चों के ऑनलाइन शोषण से नषिटने में सुसंगतता एवं प्रभावशीलता सुनश्चिति करने के लयि वधायी समीक्षा एवं संशोधन की आवश्यकता है। इसलयि, राज्य सरकार के लयि यह आवश्यक है कविह इस नरिणय के वरिद्ध अपील करे तथा कानूनी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लयि सक्रयि कदम उठाए।

**अभ्यास प्रश्न:** वधायी उपायों, सामाजकि दृष्टिकोण एवं नवारक रणनीतयों को संबोधति करते हुए बाल यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के वधिकि एवं सामाजकि नहितारथों की चर्चा कीजयि।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

**?????????:**

**प्रश्न 1.** बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2010)

1. वकिस का अधिकार
2. अभवियक्त का अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपरयुक्त में से कौन-सा/से बच्चों के अधिकार है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

**?????????:**

**प्रश्न 2.** राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजयि तथा इसके क्रयान्वयन की प्रस्थितिपर प्रकाश डालयि। (2016)